(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 5/2019 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 648(अ), तारीख 27 जून,2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017- केंद्रीय कर, तारीख 27 जून,2017 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, शब्दों "निम्नलिखित की दर पर संगणित रकम" से प्रारंभ होने वाले और "अन्य प्रदायकर्ताओं के मामले में संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 7 में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित कर की रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना अधिसूचना सं. 8/2017- केंद्रीय कर तारीख 27 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 648(अ),तारीख 27 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 02(अ) तारीख 1 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2018 केंद्रीय कर, तारीख 1 जनवरी, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।